प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

प्रतिवेदन

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) का मण्डी परिसर बरेली रोड पर 43.59 एकड़ भूमि में निर्मित है। हल्द्वानी कुमाऊँ क्षेत्र का एक बहुत बडा व्यापारिक केन्द्र है। जहां पर पर्वतीय जनपद नैनीताल, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के उत्पादकों के साथ–साथ मैदानी जनपद के कृषकों द्वारा फल सब्जियां विक्रय हेतु लायी जाती है। विक्री के पश्चात पर्वतीय क्षेत्र की फल सब्जियां दिल्ली, मुम्बई एवं देश के अन्य राज्यों के साथ–साथ देश के बाहर (पाकिस्तान एवं बंगलादेश) भी भेजी जाती है। किसानों, व्यापारियों एवं कृषि कार्य से जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों की आजीविका भी हल्द्वानी मण्डी से ही जुड़ी है।

पर्वतीय जनपदों के कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था हेतु वर्ष 1982 में नवीन मण्डी स्थल की स्थापना की गयी। जिसके लिए 43.59 एकड भूमि क्रय की गयी। उक्त भूमि में फल एवं सब्जी मण्डी तथा खाद्यान्न मण्डी विकसित की गयी। सब्ज़ी मण्डी में ए श्रेणी की 67 (सड़सठ), बी श्रेणी की 61 (इकसठ) तथा सी श्रेणी की 173 (एक सौ तिहत्तर) दुकानें तथा 02 (दो) नीलामी चबूतरे निर्मित कराये गये हैं। इसी प्रकार गल्ला मण्डी में ए श्रेणी की 20 (बीस), बी श्रेणी की 34 (चौंतीस) एवं सी श्रेणी की 52 (बावन) दुकानें तथा 01 (एक) नीलामी चबूतरा, 80 (अस्सी) व्यापारिक गोदाम निर्मित कराये गये है। नवीन मण्डी परिसर में 01 (एक) कार्यालय भवन, 37 (सैंतीस) आवासीय भवन, 03 (तीन) बैंक भवन, 01 (एक) अतिथि गृह, 01 (एक) कृषक विश्राम गृह, 03 (तीन) चैक पोस्ट, 14 (चौदह) कैन्टीनें, 04 (चार) सार्वजनिक शौचालय, 04 (चार) पी0सी0ओ0, 22 (बाईस) किसान बाजार की दुकानें, 01 (एक) मिल्क पार्लर तथा 01 (एक) नाई की दुकान का निर्माण किया गया है।

वर्तमान में मण्डी स्थल में फल एवं सब्जियों के 569 (पांच सौ उनसत्तर) थोक व्यापारियों/आढ़तिया तथा खाद्यान्न के 206 (दो सौ छः) थोक/व्यापारियों द्वारा कारोबार किया जाता है। वर्ष 2005 के पश्चात नवीन मण्डी स्थल में कारोबार करने हेतु कोई भी स्थान उपलब्ध न होने के कारण 367 (तीन सौ सड़सठ) व्यापारियों को दुकानें आवंटित नहीं की जा सकी है। चूंकि नवीन मण्डी स्थल में दुकानों के निर्माण हेतु बिल्कुल भी भूमि उपलब्ध नही है। जिस कारण उक्त व्यापारियों के लिए दुकानों का निर्माण किया जाना भी सम्भव नही है। वर्ष 1982 की आवश्यकतानुसार तत्समय मण्डी का निर्माण कराया गया था। तब से 32 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में काफी वृद्धि होने के फलस्वरूप व्यापार भी काफी बढ़ गया है। पूर्व में निर्मित मण्डी स्थल में वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। कारोबार हेतु स्थान उपलब्ध न हो पाने के कारण वर्ष 2005 के पश्चात मण्डी समिति द्वारा फल–सब्जी के कोई भी नये लाइसेंस जारी नही किये जा सके है। चूंकि कुमाऊँ क्षेत्र में काफी अधिक

मात्रा में फल एवं सब्जियां पैदा होती है, परन्तु नये लाइसेंस जारी न हो पाने के कारण मण्डी में व्यापार का भी विस्तार नही हो पा रहा है। जिससे जहां एक ओर किसानों को विपणन व्यवस्था का पर्याप्त लाभ नही मिल पा रहा है, वहीं नये कारोबारी भी कृषि क्षेत्र में कार्य नही कर पा रहे है। फल–सब्जियां जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद हैं। इनको संरक्षित रखने के लिए मण्डी में आवश्यकतानुसार कोल्ड स्टोरेज की भी आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि में फूलों की मण्डी भी विकसित की जानी है। क्योंकि कुमाऊँ में फूलों का उत्पादन भी काफी अधिक क्षेत्र में किया जाता है। फूलों की विपणन व्यवस्था न होने के कारण फूल उत्पादक किसानों को अपना उत्पाद प्रदेश से बाहर की मण्डियों में ले जाना पड़ता है। यदि मण्डी समिति को प्रस्तावित भूमि उपलब्ध हो जायेगी तो वहां पर फल–सब्जियों की आधुनिक मण्डी का निर्माण कराया जायेगा। जिसमें वातानुकूलित भण्डार गृह, खाद्यान्न गोदाम, सुसज्जित फूलों की मण्डी एवं समस्त सुविधाओं से युक्त मण्डी का निर्माण कराया जायेगा। जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास होगा जिससे यहां के व्यापारी, किसान तथा आम जनता भी लाभान्वित होगी। यहां यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड प्रदेश का कुमाऊँ क्षेत्र दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। आपात स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों को खाद्यान्न एवं फल–सब्जी की आपूर्ति के लिए यहां मण्डी में भण्डारण की व्यवस्था हेतु गोदामों का निर्माण कराया जाना भी आवश्यक है। जिससे कि प्रभावित क्षेत्रो में खाद्यान्न एवं फल–सब्जी इत्यादि की समयानुसार आपूर्ति की जा सके।

वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता है। जहां मण्डी विस्तार से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। वहीं मण्डी निर्माण से कारोबार भी बढ़ेगा जिससे कुमाऊँ की लगभग 50 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। व्यापारियों को कारोबार करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा। वहीं कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे तथा आम उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर फल–सब्जियॉ प्राप्त होंगी। मण्डी में व्यापारियों की अधिक संख्या होने तथा अधिक संख्या में किसानों के मण्डी में आने से उत्पादकों को प्रर्तिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा। इसके साथ–साथ मण्डी में कारोबार बढ़ने पर समिति को अधिक आय भी प्राप्त होगी जिससे क्षेत्र का भी पर्याप्त विकास किया जा सकेगा।

उक्त मण्डी के विस्तारीकरण हेतु समिति द्वारा वर्ष 2005 से निरन्तर निजी भूमि एवं सिविल भूमि की तलाश की गई। परन्तु मण्डी की आवश्यकतानुसार कही भी निजी या अन्य भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी। भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही समिति द्वारा वन भूमि का चयन किया गया है।

यहां यह भी विशेष रूप से अवगत कराना है कि उक्त भूमि हल्द्वानी और लालकुआँ के मध्य हल्द्वानी महानगर निगम से लगी हुई है तथा इसके चारो ओर घनी आबादी है। अनेकों बार उक्त भूमि से लगे ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तावित वन भूमि पर अतिक्रमण का भी प्रयास किया जाता रहा है। जिसे समय–समय पर वन विभाग द्वारा बल पूर्वक हटाया गया है। भविष्य में भी उक्त भूमि में अतिक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि पर मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने पर आवागमन अधिक होने के कारण अतिक्रमण की संभावना भी समाप्त हो जायेगी।

चूकि मण्डी के विस्तार हेतु वन विभाग की प्रस्तावित भूमि हल्द्वानी–बरेली मार्ग एवं हल्द्वानी–रामपुर–दिल्ली मार्ग के मध्य तथा वर्तमान नवीन मण्डी स्थल से भी लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए यह भूमि मण्डी के विस्तारीकरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। अतः यदि उक्त भूमि मण्डी विस्तार हेतु हस्तान्तरित होती है तो इसमें आधुनिक मण्डी का निर्माण होने से सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास होगा तथा पर्याप्त रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

(विनोद कुमार लोहुमी)
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)